"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज.)SN

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 674/2021 **GCMS No. 2021/752**

प्रार्थी

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

आदेश

दिनॉक :– 17/11/2021

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक परिशिष्ट–"ए" एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार **ग्राम** पावटिड्या **पटवार मण्डल** पावटिड्या **तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर** 14 में मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नही है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार कुचामनसिटी ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है तथा रास्ता मौके पर चालू बताया है। इस प्रकार यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्देशित किया जाता है कि **ग्राम** पावटिड्या **पटवार मण्डल** पावटिड्या **तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर** 14 में मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट– "ए" व मौका पर्चा में वर्णितानुसार करावें। परिशिष्ट– "ए" व मौका पर्चा नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। आम रास्ता ([redacted]) मौके पर रास्ता चालू है। *रास्ता [illegible] खातेदारो की खातेदारी में दर्ज रहेगा।* तहसीलदार कुचामनसिटी पालना [illegible] करे।

यह आदेश आज दिनॉक 17/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 16:22:55 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)